प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झॉसी मण्डल झॉसी।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक–एन0ओ0सी0 / /2011–12 दिनॉक– 30/4/2011

विषयः–इन्द्र प्रस्थ एकेडमी, न्यू चर्च रोड, बबीना कैन्ट झॉसी, को सी0बी0एस0ई0,बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनॉक–14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0 एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओ को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद झॉसी में स्थित संस्था इन्द्र प्रस्थ एकेडमी, न्यू चर्च रोड, बबीना कैंन्ट झॉसी, के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा बिचार किया गया। समिति द्वारा जॉचोपरान्त इन्द्र प्रस्थ एकेडमी, न्यू चर्च रोड, बबीना कैन्ट झॉसी, को सी0बी0एस0ई0, बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः इन्द्र प्रस्थ एकेडमी, न्यू चर्च रोड, बबीना कैन्ट झॉसी, को निम्न लिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनात्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को आपत्ति नहीं है–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनींकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगें, और उनसे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन,नई दिल्ली/कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो का अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

कमशः02 पर....

8. विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ल)
आयुक्त,
झाँसी मण्डल झाँसी।

पृष्ठांकन सं0/एन0ओ0सी0/ 606-11 /2011–12 तद्दिनॉक– 30/4/2011

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0,शासन,लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त, झाँसी मण्डल झाँसी।
3. जिलाधिकारी,झाँसी।
4. शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक,झाँसी।
6. निरीक्षक,आंग्ल भरतीय विद्यालय,उ0प्र0,लखनऊ।
7. प्रबन्धक, इन्द्र प्रस्थ एकेडमी, न्यू चर्च रोड, बबीना कैन्ट झाँसी,

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।